



परिशिष्ट- 3
तारिकित प्रश्न क्र. 396

परिशिष्ट-1
कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश
विधानसभा तारिकित प्रश्न क्रमांक-396 द्वारा श्री गोपाल भागवत के प्रश्नांश (क) की जानकारी

स.क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	लेम्स पोर्टल पर प्र.क्र.	लेम्स पोर्टल पर पंजीयन का दिनांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे.में	टिप्पणियां
1	रहली	मोतीपार	0013A/82/24-25	27-11-2024	136.04	कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा भू-अर्जन प्रस्ताव दिनांक 28/11/2024 को कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने पर भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण दल गठन की कार्यवाही की जा चुकी है।
2		द्विरारी	0014A/82/24-25	27-11-2024	51.76	
3		समनापुर वेरखेड़ी	0015A/82/24-25	27-11-2024	96.46	
4		हिनाती	0016A/82/24-25	27-11-2024	33.12	
5		मडखेरा	0017A/82/24-25	27-11-2024	84.44	
6		खाईखेड़ा			131.61	
7		वदरचुआं			66.42	प्रमुख राजस्व आयुक्त महोदय, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-4/भू-अर्जन/प्र.रा.आ./2023-24/3826 भोपाल, दिनांक 13/6/2024 में दिये गये निर्देशानुसार भू-अर्जन के प्रकरणों में आर.सी.एम.एम. पोर्टल पर लेम्स माड्यूल का उपयोग किया जाकर आवेदक विभाग द्वारा भू-अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाना है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है) आवेदक विभाग के प्रस्ताव अनुसार ग्राम खाईखेड़ा, वदरचुआं, हरदुआ बलेह में शासकीय भूमियों पर निर्मित मकान इत्यादि भी हूब क्षेत्र में प्रभावित है जिनका अर्जन किया जाना है शासकीय भूमियों पर निर्मित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु आर.सी.एम.एम. पोर्टल पर लेम्स माड्यूल में विकल्प उपलब्ध न होने से प्रकरणों का पंजीयन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।
8		हरदुआ बलेह			23.54	


अनुमान अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग


संयुक्त कलेक्टर,
सागर (म.प्र.)